2015/00155

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कुरैधा

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–76/2015

1–नेकराम पुत्र श्री रघुवीर जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सिंघौरा तहसील सैंपउ जिला धौलपुर।

————वादी

बनाम

1–शिवदत्त पुत्र रघुवीर 2–शीलादेवी बेवा निरोतीलाल, 3–प्रीती, 4–विज्जो, 5–अरूण, 6–भारती, 7–दीपिका पुत्र पुत्रीयान निरोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघौरा तहसील सैंपऊ उप तहसील बसईनबाव
8–रामरती उर्फ रामवती पत्नी हौली कोम कुशवाह निवासी ग्राम सिंघौरा का पुरा तहसील सैंपऊ
9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ ——— प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्री सज्जन बाबू तिवारी एडवोकेट –प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 16.5.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते बटबारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 371, 372, 425, 427, 969/405 वाके ग्राम सिंघौरा तहसील सैपऊ न्यायालय में पेश किया, जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 9.6.2016 को प्रारंभिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कराया गया । उन्होने मुताबिक विभाजन

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला-धौलपुर (राज0)

प्रस्ताव दावा डिकी किये जाने की प्रार्थना की । तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक रिकार्ड ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में हम मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-नेकराम पुत्रश्री रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	425	0.06
	427	0.09
	969/405	0.02
	371/1	1.01 उत्तर दिशा
कुल	04	1.18

2-शीलादेवी पत्नी व प्रीती, विज्जो, अरूण, भारती, दीपिका पुत्रियान पिसरान निरोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	371/2	0.13
कुल	01	0.13

3-रामरती उर्फ रामवती पत्नी होली जाति कुशवाह निवासी ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	371/3	0.13
कुल	01	0.13

4-शिवदत्त हि0 1/5, नेकराम हिस्सा 3/5 पिसरान रघुवीर शीलादेवी पत्नी व प्रीती, विज्जो, अरूण, भारती, दीपिका पुत्रियान पिसरान निरोतीलाल हिस्सा 1/5 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिंघोरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	372	0.02
कुल	01	0.02

उपखण्ड अधिकारी जिला-धौलपुर (राज.)

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा० की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.5.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
(प्रशासन गांवों के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)
अटल सेवा केन्द्र कुरधा
ग्राम पंचायत ....

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
जिला–धौलपुर (राज.)